FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम मारवेरी

मंजु बनाम मोहनलाल वगैरह

नं. 27/प्रा.पत्र/2020 सन

किस्म मुकदमा 128 LR Act.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही, मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9-7-20	सरिश्ते की रिपोर्ट होकर प्रार्थना पत्र पेश हुआ वकील प्रार्थी उपस्थित प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलबकर पत्रावली दिनांक 27-8-2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
27-8-20	पत्रावली पेश हुई अ~~भिभाषक उभय पक्ष उपस्थित~~ हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषणगण ~~कन्डोलेन्स पर है।~~ अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 22.10.2020 को पेश हों। (हस्ताक्षर) — कोविड-19	
22-10-20	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी [illegible] तशरीफ रखते है। ~~राज्य कार्यवश~~ [illegible] अभिभाषणगण अन्य कार्य मे [illegible] कन्डोलेन्स पर [illegible] अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दि[illegible] 24.12.2020 को पेश हों। (हस्ताक्षर) — इन्सीमिटिंग	
24-12-20	पत्रावली पेश हुई अ~~भिभाषक उभय पक्ष उपस्थित~~ [illegible] श्रीमान उपखण्ड अधिकारी [illegible] तशरीफ रखते है। राज्य कार्य[illegible] अभिभाषणगण अन्य कार्य [illegible] पत्रावली साबिक ~~कन्डोलेन्स~~ [illegible] कार्यवाही हेतु दिनांक 10.3.2021 को पेश हों। (हस्ताक्षर)	
10-3-21	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी [illegible] (बूंदी)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.31 18:49:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

मंजू बनाम मोहन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, जिला बून्दी (राज0)

27 / प्रा0 पत्र / 2020 — पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनाकं 09.07.2020 — श्री प्रमोद कुमार(R.A.S.)

1 मंजू राजावत आयु 52 वर्ष पत्नी नरेन्द्रसिंह राजावत जाति राजपूत निवासी 10 गणेश नगर विस्तार योजना वार्ड नं. 5 लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0) ....प्रार्थीया...

.....बनाम.....

1 मोहनलाल आयु 45 वर्ष पुत्र भूरालाल जाति गुर्जर निवासी डागांहेडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)

2 रामनारायण आयु 46 वर्ष पुत्र किशोर जाति गुर्जर निवासी डागांहेडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)

3 कल्याण आयु 65 वर्ष पुत्र मोती जाति गुर्जर निवासी डागांहेडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)

4 आशा राम आयु 50 वर्ष पुत्र हीरालाल जाति गुर्जर निवासी डागांहेडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)

5 राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0) .....अप्रार्थीगण.....

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 10.03.2021

प्रार्थीया ने अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या 135 नयी, के खसरा नं0 510 रकबा 1.35 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 1.35 हैक्टेयर वाके ग्राम डांगाहेडी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में विस्थित है। प्रार्थीया की कृषि भूमि खसरा नं0 510 रकबा 1.35 हैक्टेयर की सीमा अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 की कृषि भूमि खसरा नं 509,681,690,691 की सीमाओ से मिलती है। प्रार्थीया द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 02.06.2017 को अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 की उपस्थिति में तहसीलदार इन्द्रगढ़ से करवाया गया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.31 18:49:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner

र्थीगण द्वारा वक्त सीमाज्ञान सीमाचिन्हो को लगाने में व्यवधान पैदा करते है और अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि की सीमाओं को निर्धारण करने हेतु पत्थरगढी के आदेश फरमाये जावें।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया।प्रार्थीगण बावजूद तामील सम्मन हाजिर न्यायालय नही आने से उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 नक़्शा ट्रेस तथा फर्द सीमाज्ञान की सत्यापित प्रति पेश की गई।

प्रार्थीया के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।प्रार्थी के अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा प्रार्थीया के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध फर्द सीमाज्ञान दिनांक 02.06.2017 से स्पष्ट है कि प्रार्थीया द्वारा सीमाज्ञान कराया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रार्थना पत्र साक्ष्य शपथ पत्र पेश नही करने से प्रार्थना पत्र का खण्डन नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार इन्द्रगढ को निर्देश दिए जाते है कि प्रार्थीया की आराजी खसरा नं 510 रकबा 1.35 हैक्टेयर वाके ग्राम डागाहेडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी स्थित कृषि भूमि का नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा कराया जाकर मौके पर नक्शे में तरमीम अनुसार सीमाज्ञान कराया जाकर सीमाओं का निर्धारण करते हुए सीमाचिन्ह अंकित करवाकर पत्थरगढी करवायी जावें।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 10.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.31 18:49:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner